फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

संदीप बनाम दलिप आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट** प्रकरण संख्या 191 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
25.07.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण स0 1 ता 2 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 433/214 की कुल 2.8970 हैक्ट भूमि मे से विशेष हिस्से का बेचान न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला, रोडा एक्ट के प्रकरण व वाप्कोस कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। वकील सायल गैरसायलान की तलबी/सायल आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी इस संबंध में अप्रार्थीग्ण को कोई उज्र ऐतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड/ सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08. 2024 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	
5.9.24	वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई निवेदन किया की पक्षकारों आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये यह प्रार्थनापत्र [illegible] खारिज करमावे। सायल [illegible] द्वारा [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] प्रकरण खारिज किया जाता है [illegible] दफ्तर [illegible] उपखण्ड अधिकारी नोहर	संदीप दलीप

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:31:17 IST
Reason: SelfAttested